FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... सहायक कलक्टर ..... मुकाम ..... बामनवास .....

..... केसाराम ..... बनाम ..... हनुमान पचौरा .....

किस्म मुकदमा ..... रास्ता अपील ..... नं. ..... 41/20 ..... सन् ..... 2020 .....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... रिणधाराम नियगा ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111/128 ..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 11/3/2020 ..... को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बामनवास	
11/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/03/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) ...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:44:43 IST
Reason: SelfAttested

18/03/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण ...

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मेड़ें व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रार्थी व विपक्षीगणों मध्य हमेशा खेत के सेनों को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत की नैयाम-बन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नैयाम-बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नैयामबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नैयामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नैयामबन्दी मौके पर मुल्क जमाईशदार करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

18.3.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:44:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक– 18/3/2020

कमांक / वाद / 2020 / 322

विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण बनाम

1. केसाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी चवानाडा (कोसरिया) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. हड़ुमान पुत्र पुरखाराम वगैरा निवासी चवा नाडा (कोसरिया) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 41/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चवानाडा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 387 / 60 रकबा 3.3250 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

18.3.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 18/3/2020

कमांक / वाद / 2020 / 323 to 327

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री केसाराम
4. विप्रार्थीगण श्री हड़ुमान वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:44:43 IST
Reason: SelfAttested